

न्यायालय

विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, प्रथम तल, निकट मैडिकल कॉलेज, गढ रोड,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

परिवाद संख्या-24 / 2020

केपटाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेन्ट ओनर्स (CAAO),
जी०एच०-०१ ए, सैक्टर-७४, नोएडा-२०१३०१।

.....परिवादी।

बनाम

1. सुपरटेक लिमिटेड, सुपरटेक ई स्क्वायर, प्लॉट नं०-सी२, सै०-९६, नोएडा।
2. सुपरटेक इस्टेट/वाई०जी० इस्टेट फैसिलिटीज मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, सुपरटेक ई स्क्वायर, प्लॉट नं०-सी२, सै०-९६, नोएडा।
3. पी०वी०वि०नि०लि० द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, 33/11 के०वी० सबस्टेशन, सै०-२५, नोएडा।

.....विपक्षीगण।

Copy of the order passed by CGRF, Meerut

दिनांक:-09.10.2020



पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्षों की बहस सुनी। विपक्षी संख्या-१ व २ अपनी आख्या-विम्न बिन्दुओं पर दिनांक 20.10.2020 तक प्रस्तुत करें :-

1. सोसायटी में कुल कितने फ्लैट हैण्डओवर किये गये हैं ?
2. प्रति फ्लैट कुल कितना लोड वितरित किया गया है ?
3. मूल रूप से प्रति किलोवाट की दर और प्रति किलोवाट लोड बढ़ाने की दर।
4. पी०वी०वी०एन०एल० से उपभोक्ता को के०वी०ए०एच० अथवा के०डब्लू०एच० में की जा रही बिलिंग का विवरण।

पत्रावली दिनांक 20.10.2020 को पेश हो।

TRUE COPY

(P.A.) 09/10/20
C.G.R.F., Meerut

प्रवीण कुमार
(अध्यक्ष / न्यायिक सदस्य)